FORM No. 123
(आदेष 24 नियम 07, आदेष 32 नियम 03)
फर्द अहकाम
सीएनआर नम्बर...................
अज अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ (राज.)
किस्म मुकदमा मु0 फौ0 FIR NO. 27/2025 महिला थाना प्रतापगढ़
छगनी बाइ बनाम राज्य

...ख हुक्म	पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश अनुपालन की संक्षिप्त टिप्पणी
...6-2026	प्रार्थी **छगनीबाइ पत्नी मांगीलाल पुत्री गोतमलाल निवासी पगोरा थाना सालमगढ़ हाल नागदी थाना अरनोद** मय अधिवक्ता **श्री रामचंद्र मइडा** उपस्थित। प्रार्थना पत्र वाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो।	

इस आदेश के द्वारा **प्रार्थी/सिपुदर्गीदार छगनीबाइ पत्नी मांगीलाल पुत्री गोतमलाल निवासी पगोरा थाना सालमगढ़ हाल नागदी थाना अरनोद** द्वारा घरेलु सामान मुताविक फर्द जप्ती सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 बी एन एस एस का दिनांक **03-06-2026** को निस्तारण किया जा रहा है।

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र की नकल सहायक लोक अभियोजन अधिकारी को पूर्व में दिलाई गयी। उभय पक्षकारान को सुना गया। केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई जिसका अवलोकन किया गया।

दौराने वहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण में घरेलु सामान प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य के है। उक्त घरेलु सामान मुताविक फर्द जप्ती की अनुसंधान में पुलिस को अव आवश्यकता नहीं है। विना रख-रखाव के उक्त घरेलु सामान मुताविक फर्द जप्ती खुले में पड़ा-पड़ा खराव हो जायेगा। अतः घरेलु सामान मुताविक फर्द जप्ती को प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया। जवकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुए प्रार्थी को घरेलु सामान मुताविक फर्द जप्ती सुपुर्दगी पर प्रदान नहीं किये जाने का निवेदन किया।

वहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। घरेलु सामान मुताविक फर्द जप्ती से संबंधित दस्तावेजात भी पेश किये है। जिनमें भी उक्त घरेलु सामान मुताविक फर्द जप्ती प्रार्थी के होना दर्शित होता है। दस्तावेज की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में **पुलिस थाना प्रतागपढ** द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया है कि **जब्तशुदा घरेलु सामान मुताबिक फर्द जप्ती** की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में घरेलु सामान का कोई अन्य दावेदार भी उपस्थित

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में नहीं आया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने न्यायिक निर्णय **सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई व सी.एम. मुदलियार बनाम गुजरात राज्य 2002 supp(3) SCR 39** "Whatever be the situation it is of no use to keep such seized vehicles at the police station for a long period. It is for the magistrate to pass appropriate orders immediately by taking appropriate bound and guarantee as well as security for return of the said vehicles, if required at any point of time."

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में व प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में घरेलु सामान का सर्वोत्तम हकदार प्रार्थी को मानते हुए उक्त **जब्तशुदा घरेलु सामान मुताबिक फर्द जप्ती** को प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः **प्रार्थी/सिपुदर्गीदार छगनीबाइ पत्नी मांगीलाल पुत्री गोतमलाल निवासी पगोरा थाना सालमगढ़ हाल नागदी थाना अरनोद** प्रकरण में घरेलु सामान को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने बाबत् 20000/- **अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र** का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर राशि का जमानतनामा

इन शर्तो के अध्यधीन पेश कर तस्दीक करा देवे, कि मूल प्रकरण के निस्तारण तक वह उक्त घरेलु सामान मुताबिक फर्द जप्ती को किसी अन्य व्यक्ति को रहन या अन्यसंक्रांत नहीं करेगा। उसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर घरेलु सामान मुताबिक फर्द जप्ती स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में पेश करेगा। तो उक्त **जब्तशुदा घरेलु सामान मुताबिक फर्द जप्ती** को **प्रार्थी/सिपुदर्गीदार छगनीबाइ पत्नी मांगीलाल पुत्री गोतमलाल निवासी पगोरा थाना सालमगढ़ हाल नागदी थाना अरनोद** को नियमानुसार **बाद बनाये जाकर पंचनामा** सुपुर्दगी पर दे दिया जावें। प्रार्थी को यह भी आदेश दिया जाता है, कि वह स्वयं के खर्चे से उक्त सामान के चारों तरफ के फोटोग्राफ्स खिंचवाएगा तथा थानाधिकारी उक्त फोटोग्राफस व प्राप्ति रसीद न्यायालय में पेश करेगा। आदेश सुनाया गया।

आदेशानुसार प्रार्थी ने जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पेश नही किये। प्रार्थना-पत्र फैसल शुमार होकर शामिल एफ आई आर रहे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ राज.

Scanned with OKEN Scanner